

जिला सहकारी बैंक के स्रोत का अध्ययन

Capt. (Dr.) Sunita Devi, HOD Economics & Associate NCC Officer, Devta Mahavidhyalay Morna Bijnor (UP)
Email- drsunita@gmail.com

ABSTRACT

सम्पूर्ण भारतवर्ष की भाति उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति भी कृषि के विकास पर आधारित है। वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग धन्धों में भारी विकास के बावजूद भी प्रदेश की सकल आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 35 प्रतिशत से अधिक है। रोजगार के अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से भी कृषि लगातार सबसे व्यापक क्षेत्र बना हुआ है। प्रदेश के लगभग 60 प्रतिशत रोजगार कृषि क्षेत्र में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न में जहाँ एक ओर उल्लेखनीय प्रगति कर हरित क्रान्ति की है, वहीं दूसरी ओर आलू एवं चीनी उत्पादन में भी सराहनीय प्रगति की है। विगत वर्षों में दलहन/तिलहन उत्पादन में भी प्रदेश में भारी प्रगति हुई है। प्रदेश के किसानों को कृषि उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन- उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन/उपकरण, कृषि यन्त्र आदि हेतु अल्पकालीन ऋण तथा कृषि पर आधारित उद्योग सेवा एवं व्यवसाय आदि प्रयोजनों के लिये मध्यकालीन ऋण सुलभ कराने में सहकारी बैंकों की भूमिका अग्रणी है। इन बैंकों द्वारा किसानों को उनकी उपज के वैज्ञानिक भण्डारण तथा विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ दैनिक उपयोग की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था भी की जाती है।

परिचय

सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक) वे बैंक हैं जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूँजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख-सुविधाएं (credit) उपलब्ध कराना है। अतः ये संस्थाएं भी वित्तीय समावेशन में सहायक हैं। देश में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के लिए एक ऐसी सुदृढ़ और दक्ष ऋण वितरण पद्धति आवश्यक है जो कृषि और ग्रामीण विकास के विस्तार एवं विविध ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ग्रामीण ऋण का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वितरित करते हैं। सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के कार्यों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी नाबार्ड की है। इस संबंध में, नाबार्ड ने भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

देश स्तर पर: 3090 सहकारी बैंक लि0

शाखायें	27
क्षेत्रीय कार्यालय	17
पे-आफिस	30
योग:	74

जिला स्तर पर: जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0

बैंकों की संख्या	50
------------------	----

मुख्य बिन्दु

- इनकी स्थापना "राज्य सहकारी समिति अधिनियम" के अनुसार की गई।
- इनका पंजीकरण "रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी" के पास किया जाता है।
- इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है।
- सामान्यतः इनकी शाखाएं एक राज्य तक सीमित होती हैं।

सहकारी शिक्षा निधि

सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु सहकारी संस्थाओं द्वारा सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान किये जाने हेतु उ०प्र० सहकारी नियमावली के नियम संख्या-138 के प्राविधान है। वर्तमान में शिक्षा निधि से सम्बन्धित प्राविधानों में संशोधन तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण उनसे शिक्षा निधि की वाजिब धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है जिससे संस्था की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सहकारी विकास निधि

उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-58 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड से अच्छादित सहकारी समितियों के सम्बन्ध में यू०पी० कोऑपरेटिव यूनियन को सहकारी शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों के संचालन हेतु निबंधक सहकारी समितियाँ, उ०प्र० के परिपत्र संख्या सी-12/शिक्षा दिनांक 04 फरवरी, 2011 द्वारा "सहकारी विकास निधि" का सृजन किया गया है। तथा उक्त परिपत्र संख्या 12-सी दिनांक 04 फरवरी, 2011 के क्रम में निबंधक के परिपत्र संख्या-13-सी/सह०वि०नि० दिनांक 04 फरवरी, 2011 द्वारा "सहकारी विकास निधि" में अधोलिखित सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि पी०सी०यू० को वार्षिक अंशदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. सक्रिय प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति- रु० 500.00 प्रति समिति
2. जिला सहकारी बैंक- रु० 5000.00 प्रति बैंक
3. उ०प्र० सहकारी बैंक- रु० 1,00,000.00 बैंक

क्रय एजेन्सी

संस्था की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से क्रय एजेन्सी के रूप में कार्य प्रारम्भ किया गया।

वर्ष 2022-23 में संस्था द्वारा 8.00 लाख मी०टन लक्ष्य के विरुद्ध 0.17 लाख मी०टन 786 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ किसानों से क्रय किया गया है। जबकि विगत वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा 7.00 लाख मी०टन लक्ष्य के विरुद्ध 0.031 लाख गेहूँ किसानों से क्रय किया गया था।

सहकारी प्रेस

सहकारी कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु "सहकारिता" साप्ताहिक एवं मासिक पत्र-पत्रिका के नियमित प्रकाशन हेतु संस्था का अपना एक "सहकारी प्रेस" वर्ष 1969 से स्थापित है। इस प्रेस द्वारा सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के उपयोगार्थ विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी छपाई का कार्य किया जाता है। आवश्यकतानुसार सदस्य प्रेसों से भी कार्य कराया जाता है। वर्तमान में संस्था प्रेस में तीन आफसेट तथा दो ट्रेडिल मशीन तथा दो कटिंग मशीन स्थापित है। वर्ष 2022-23 में प्रेस द्वारा रु० 76.86 लाख का व्यवसाय किया गया। वर्ष 2022-23, 2023 तक रु० 38.57 लाख का व्यवसाय किया गया है।

अतिथि गृह/आडीटोरियम

सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/ सदस्यों/ सहकारी बन्धुओं के लिए सहकारिता भवन के छठे तल पर 36 शैय्याओं वाला डारमेट्री अतिथि गृह का संचालन किया जा रहा है जिसमें बहुत ही कम शुल्क पर अतिथियों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार संस्था द्वारा भू-तल पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित आडीटोरियम का संचालन किया जा रहा है जो सहकारी तथा गैर-सहकारी संस्थाओं/ संगठनों को गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि हेतु उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

सहकारी संघ प्राधिकारी

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, सहकारी संघों एवं पूर्ति भण्डारों तथा क्रय-विक्रय समितियों के प्रबन्धन तथा पर्यवेक्षण के लिये विभिन्न कर्मचारियों की व्यवस्था हेतु सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 123(1) कि अन्तर्गत उ०प्र० शासन सहकारिता (2) की विज्ञप्ति संख्या सी/26/2-12 सी-76 दिनांक 13 फरवरी, 1976 द्वारा यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि० को सहकारी संघ प्राधिकारी की मान्यता प्रदान की गयी है। जिसे निबंधक सहकारी समितियां, उ०प्र० अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में इस संवर्ग में कुल 452 सहकारी पर्यवेक्षक तथा 53 सहकारी कामदार हैं, जो पर्यवेक्षक/ कामदार सहकारी पूर्ति भण्डारों, क्रय-विक्रय समितियों, जिला सहकारी बैंकों एवं अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रति पर्यवेक्षक प्रति वर्ष रु० 1,00,000/- एवं प्रति कामदार प्रति वर्ष रु० 50,000/- मुख्यालय अंशदान के रूप में प्राप्त होता है जिससे प्राधिकारी कर्मचारियों के प्रबंधकीय व्यय, सी०पी०एफ० अंशदान एवं ग्रेच्युटी अंशदान आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

Reference

1. Dr. S. D. Gokhale Problems and prospectus of rural development in Maharashtra, Shrividya Prakashan, Pune.
2. Reports on Trends and Progress of Banking in India 2002-2003, RBI Pub.
3. A comparative analysis, Indian cooperative review Vol. 42(2) 2003
4. Emerging trends in Indian banking system, a Souvenir 2010
5. RBI, the report of High Power Committee of UCBs, Mumbai.
6. All India Credit Review Committee Report (1969).
7. www.wikipedia.org